भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3351
16 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए नियत

"ऑटोमोबाइल उद्योग में मंदी"

3351. कुमारी राम्या हरिदास:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल के वर्षों में देश में ऑटोमोबाइल उद्योग में मंदी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई कार विनिर्माण इकाइयां बंद हो गई हैं और देश के उत्पादन में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) - (ख) : जी हां, ऑटोमोबील उद्योग को कोविड -19 महामारी के कारण मंदी का सामना करना पड़ा है। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में कतिपय क्षेत्रों, जैसे- यात्री वाहनों और दुपहियों में बिक्री बढ़ी है। विवरण निम्नानुसार है:-

वाहनों की बिक्री (संख्या हजार में)

	अक्टूबर2019-फरवरी 2020	अक्टूबर2020-फरवरी 2021	% परिवर्तन
यात्री वाहन (पीवी)	1235	1386	12.23
वाणिज्यिक वाहन (सीवी)	195*	193*	-1.12
तिपहिया	278	125	-55.03
दुपहिया	6853	7638	11.45

* दिसम्बर तक उपलब्ध वाणिज्यिक वाहनों के आंकड़े स्त्रोत :एसआईएएम

(ग)-(घ) : जैसा कि उपरोक्त सारणी में स्पष्ट है, यात्री वाहनों और दुपहियों के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। अक्टूबर 2020-फरवरी 2021 की अवधि में, इसके पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यात्री वाहनों और दुपहिया वाहनों में क्रमशः 12.23% और 11.45% की वृद्धि हुई है।

एक नीति निर्माता के रूप में, भारत सरकार उद्योग के व्यापक और निरन्तर विकास के लिये उपाय पैकेज के माध्यम से अर्थव्यवस्था की गति को बनाये रखने और सुधारने का प्रयास करती है। ऑटोमोबील उद्योग को सहायता देने के लिये हाल ही में निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई है:

i) 11 नवम्बर 2020 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिये 1,45,980 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ पांच वर्षों की अवधि के लिये ऑटोमोबील और ऑटो घटक क्षेत्रों सहित 10 विनिर्दिष्ट प्रमुख क्षेत्रों के लिये उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम आरम्भ करने की मंजूरी दी है। ऑटोमोटिव उद्योग भारत में प्रमुख आर्थिक योगदानकर्ता है। पीएलआई स्कीम भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनायेगी और भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र के वैश्वीकरण को बढ़ाएगी।

ii) पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिये स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा।

iii) थोक और खुदरा व्यापार और वाहनों की मरम्मत को एमएसएमई विकास अधिनियम के दायरे में लाया गया।

iv) बजट 2021-22 में, सार्वजनिक परिवहन बस सेवाओं को बढ़ावा देने के लिये कुल 18,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक स्कीम की घोषणा की गई है।

*****